भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2543
दिनांक 16.12.2025 को उत्तरार्थ

संघ राज्य क्षेत्रों में 'पेसा' अधिनियम का कार्यान्वयन

2543. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्रों में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों को लागू किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में अधिसूचना कब जारी की गई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा किसी अन्य संवैधानिक/विधिक तंत्र के अंतर्गत उक्त संघ राज्यक्षेत्रों में 'पेसा' अधिनियम के उपबंधों के समान शक्तियों को लागू करने के लिए कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह)

(क) जब तक किसी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के किसी क्षेत्र को संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार "अनुसूचित क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक उन क्षेत्रों पर पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। चूंकि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के किसी भी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, इसलिए पेसा अधिनियम के प्रावधान दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं।

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के प्रावधान भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत केवल 'अनुसूचित क्षेत्र' के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों पर ही लागू होते हैं। भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार "अनुसूचित क्षेत्र" पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे।

(ख) जी नहीं, महोदय।

****